परिवहन निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला– 171004

संख्या सी.टी./स्टोर/नीलामी/वाहन संख्या–एच.पी72–0072/ 1056851 दिनांक 23 सितम्बर, 2015

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय परिवहन, हिमाचल प्रदेश की नकारा घोषित वाहन संख्या एच.पी 72–0072 (टाटा सूमो) मॉडल–2005 'जैसे है जहां है' के आधार पर नीलामी हेतु सीलबंद निविदा (quotations) आमंत्रित किये जाते हैं जो कि निदेशालय परिवहन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय, परिवहन भवन, शिमला– 171004 में दिनांक 14.10.2015 को दोपहर 1:00 बजे तक पंहुच जाने चाहिए । यह निविदाएं (टैंडरज) उसी दिन 3 बजे अपराह्न निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों, जो भी उपस्थित होना चाहेंगे, के समक्ष खोले जायेंगे । यह वाहन परिवहन निदेशालय, परिवहन भवन के प्रांगण में खड़ी है, जिसका निरीक्षण निविदाकर्ता किसी भी कार्यदिवस में कर सकता है । निविदा में भाग लेने हेतु नियम व शर्तें परिवहन विभाग की वेबसाईट www.himachal.nic.in/transport पर उपलब्ध है अथवा इसे किसी भी कार्यदिवस पर विभाग के मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

अद्योहस्ताक्षरी कोई भी कारण बताए बिना किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी रखते हैं ।

आदेशानुसार
निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

पृ0सं0 व दिनांक – उपरोक्त ।
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला–3 ।
2. महालेखाकार ले0 एवं ह0 हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
4. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित नीलामी सूचना दिनांक 24.9.2015 से पहले दो दैनिक समाचार पत्रों **'द ट्रिब्यून' (English) तथा 'अमर उजाला' (Hindi)** में प्रकाशित करेगें तथा बिल इस विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगें।
5. निदेशक आकाशवाणी हिमाचल प्रदेश शिमला–4 ।
6. सूचना पटट् परिवहन मुख्यालय शिमला–4 ।
7. Sh. Trilok, Programmer to upload the advt./notice on website of Deptt. along with terms & conditions.

अतिरिक्त आयुक्त परिवहन
हिमाचल प्रदेश ।

निविदा में भाग लेने हेतु नियम व शर्तें

(1) इस निविदा के साथ मु0 5,000/–(पांच हजार) रूपये धरोहर राशि डिमांड ड्राफट के रूप में जो कि निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश के नाम हो, लगा होना चाहिए। जिन निविदाओं के साथ डिमांड ड्राफट नहीं होगा उन्हें सीधे अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(2) आरक्षित मूल्य से नीचे कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

(3) उच्चत्तम निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार करने के पश्चात इसे किसी के पक्ष में स्थानान्तिरत नहीं किया जायेगा ।

(4) जिस सफल निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकार कर लिया जायेगा, उसे निविदा की राशि का ½ भाग उसी समय जमा करवाना होगा । ऐसा न किये जाने पर निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी तथा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

(5) सफल निविदाकर्ता को बकाया राशि 3 दिन के अंदर जमा करवाकर डिलीवरी लेनी होगी अन्यथा निविदा की 5 प्रतिशत राशि प्रतिदिन अतिरिक्त ली जायेगी ।

(6) सफल निविदकर्ता को इस वाहन के लिए नया नम्बर लेना होगा क्योंकि वाहन पंजीकृत संख्या एच.पी 72–0072 विभाग द्वारा सुरक्षित (retain) रखा जायेगा ।